लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4167

13 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र क्षेत्र

4167. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वस्त्र क्षेत्र में खत्म कर दी गई नौकरियों की समीक्षा कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वस्त्र क्षेत्र में इस संकट से निपटने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार खादी क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं से निपटने हेतु उपाय करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): उद्योगों का नवीनतम वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) दर्शाता है कि वस्त्र सहित संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि हुई जो निम्नानुसार है:-

वर्ष	वस्त्र क्षेत्र सहित कुल विनिर्माण क्षेत्र
2012-13	1,29,50,025
2013-14	1,35,38,114
2014-15	1,38,81,114
2015-16	1,42,99,710
2016-17	1,49,11,189

(ग) और (घ): वस्त्र क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन का संवर्धन करने के लिए सरकार ने कई नीतिगत पहलें की हैं और वस्त्र के विकास पर जोर देने के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रही है जो इस प्रकार है:-

(i) निटिंग और निटवियर क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निटिंग और निटवियर कलस्टर, लुधियाना, कोलकाता और तिरुपुर में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निटिंग और निटवियर क्षेत्र के विकास के लिए एक पृथक योजना की शुरूआत की है जिसमें लगभग 24 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

(ii) पात्र मशीनरी के लिए एकबारगी पूंजीगत सब्सिडी के साथ वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकी मशीनरी उन्नयन के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (एटीयूएफएस) कार्यान्वित की जा रही है। परिधान तथा तकनीकी वस्त्रों जैसे अधिकतम रोजगार और निर्यात क्षमता वाले क्षेत्रों को 15% की दर से अधिकतम सीमा 30.00 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र हैं। नए शटलरहित करघे (प्रीपेरेट्री और निटिंग) के लिए बुनाई प्रसंस्करण पटसन, रेशम और हथकरघों जैसे क्षेत्रों को अधिकतम 20 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन 10% की दर से सब्सिडी प्राप्त होगी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक 7 वर्षों के लिए 17,822 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान अनुमोदित किया गया है, जिससे 2022 तक वस्त्र क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए का प्राप्त निवेश होगा तथा 35.62 लाख रोजगार सृजित होंगे।

परिधान इकाईयों के लिए उत्पादन रोजगार संबंद्ध सहायता योजना (एसपीईएलएसजीयू): मंत्रालय ने परिधान क्षेत्र में उत्पादन को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत परिधान इकाइयों के लिए उत्पादन और रोजगार संबंद्ध सहायता योजना को भी अधिसूचित किया है।

(iii) सरकार ने परिधान और मेड-अप क्षेत्र में निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 में 6,000 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज की शुरूआत की है जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल थे अर्थात् (i) निर्यातकों को राज्य स्तरीय करों के लिए राज्य लेवी की छूट (आरओएसएल) के अंतर्गत पूरी राशि वापस की जाती है; (ii) संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के अंतर्गत 10% का उत्पादन संबंद्ध अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

(iv) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी): सरकार अवसंरचना निर्माण और अतिरिक्त नौकरियों के सृजन करने के लिए वस्त्र पार्कों की स्थापना हेतु 40 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के साथ 40% सब्सिडी प्रदान करती है। 59 स्वीकृत वस्त्र पार्क कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। पूर्ण रूप से प्रचालनशील होने पर इसमें 5909 वस्त्र इकाइयां स्थापित होने की संभावना है। जिससे लगभग 3,61,093 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन होगा और 26,972 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त होगा।

(v) वस्त्र क्षेत्र की कुशल जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में कर्मचारियों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक एक अखिल भारत आधार पर एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत 11.14 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें 8.43 लाख व्यक्तियों को नौकरी दी गई है। इसी क्रम में, वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार सृजन पर सरकार के फोकस के भाग के रूप में सरकार ने 1300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्र क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (एससीबीटीएस) नामक एक नई योजना को अनुमोदित किया है। इस योजना का उद्देश्य संगठित और संबंधित क्षेत्रों में नौकरियों का सृजन और परंपरागत क्षेत्र में कौशल और कौशल उन्नयन करने में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और सहायता करने के लिए मांग आधारित रोजगार उन्मुखी राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप कौशल कार्यक्रम प्रदान करना है।

इस योजना में हथकरघा, हस्तशिल्प, पटसन, रेशम तकनीकी वस्त्र, अपैरल, परिधान, वस्त्र प्रसंस्करण और फैशन क्षेत्रों शामिल हैं। इस कार्यक्रम को आगे ले जाने में वस्त्र उद्योग और उद्योग संघों सहित राज्य सरकार और क्षेत्रीय संगठन साझेदार हैं।

(vi) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना और यार्न आपूर्ति योजना जिसके अंतर्गत उत्पादन वृद्धि और वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कच्ची सामग्री, करघों तथा उपस्करों, डिजाइन नवप्रवर्तन, उत्पाद विविधीकरण, अवसंरचना विकास, कौशल उन्नयन, हथकरघा उत्पादों का विपणन और रियायती दर पर ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एनएचडीपी के अंतर्गत विभिन्न पहलों जैसे कौशल उन्नयन, हथकरघा संवर्धन सहायता, उत्पाद विकास, वर्कशेड का निर्माण, परियोजना प्रबंधन लागत, डिजाइन विकास, सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए प्रति बीएलसी 2 करोड रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर एक डाई हाउस की स्थापना के लिए 50 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। मुद्रा योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकर को 6% की रियायत ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। तीन वर्षों की अवधि के लिए अधिकतम 10,000 रुपए प्रति बुनकर मार्जिन मनी और क्रेडिट गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है।

(vii) राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजनाओं का उद्देश्य डिजाइन प्रौद्योगिकी उन्नयन, अवसंरचना विकास, बाजार सहायता आदि पर सहायता प्रदान करके एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से हस्तशिल्प कलस्टरों का समग्र विकास करना है।

(viii) पावरटेक्स इंडिया : विद्युतकरघा उन्नयन, अवसंरचना सृजन, रियायती ऋण संबंधी घटकों सहित विद्युत करघा क्षेत्रों के लिए एक व्यापक योजना।

(ix) सिल्क समग्र : अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी का अंतरण, बीज संगठन और समन्वय, बाजार विकास, गुणवत्ता प्रमाणन और निर्यात के घटकों सहित रेशम उद्योग के विकास हेतु एक एकीकृत योजना।

(x) प्रमाणित बीजों का संवर्धन बेहतर एग्रोनोमिक पद्धति, माइक्रोबाइल का प्रयोग, पटसन पौधे का पुन: प्रयोग पटसन की उत्पादन गुणवत्ता के लिए रेटिंग, उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से किसानों की आय को कम से कम 50% तक बढ़ाने के लिए और पटसन किसानों के लिए पटसन उत्पादन की लागत को कम करने के लिए पटसन आईकेयर।

(xi) वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों के लिए अवसंरचना, क्षमता निर्माण और विपणन सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर में वस्त्र उद्योग के संवर्धन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस)।

(xii) आरओएससीटीएल:- ड्यूटी ड्रॉबैक योजना के अलावा सरकार ने दिनांक 07.03.2019 से एक नई योजना अर्थात गारमेंट/मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य तथा केंद्रीय कर और लेवी की छूट लागू की है।

*****